

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

शैतान सिंह बनाम श्रीमती रेणू जैन वगैरह ।
किस्म मुकदमा-225 राज.काश्तकारी अधिनियम
अपील संख्या 23/2023 (अजमेर)

रिमा 105
17.01.23 ✓

	श्री मौहम्मद इकबाल एडवोकेट	
11.01.2023	<p>शैतान सिंह बनाम श्रीमती रेणू जैन (2023/23)</p> <p>यह अपील श्री मौहम्मद इकबाल एडवोकेट ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 20/2021 में पारित आदेश दिनांक 22.03.2021 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसमें समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पेश किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 12.01.2023 को पेश हो।</p>	
12.01.2023	<p>पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र पेश की गई। अभिभाषक अपीलांत उपस्थित। अभिभाषक अपीलांत को प्रार्थना पत्रों पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र हेतु रिजर्व रखी जाती है।</p>	
17.01.2023	<p>पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र पेश की गई। अभिभाषक अपीलांत उपस्थित। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते हैं।</p> <p>अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांत ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अपीलांत के द्वारा अपीलाधीन आराजीयात के बावत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। जिसमें अपीलांत ने समस्त तथ्य दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत के दस्तावेजी साक्ष्यों एवं शपथ पत्रों पर विश्वास नहीं कर आदेश दिनांक 22.03.2021 पारित कर दिया। जिसके पश्चात् नियमित रूप से अपीलांत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पर सुनवाई हेतु निवेदन करता रहा परन्तु कोई सुनवाई नहीं हुई। जिससे अपीलांत के द्वारा दिनांक 02.01.2023 को समस्त आदेशिका की नकल प्राप्त की गई और नकल दिनांक 05.01.2023 को प्राप्त होने पर अपील प्रस्तुत करने के अतिरिक्त विकल्प शेष नहीं रह जाने से अपील प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुती में लगा समय सद्भाविक है जिसे ख्जमा कर अपील का निर्णय मेरिट पर किया जाना न्यायाचित है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाकर मेरिट पर आदेश प्रदान करावे।</p> <p>अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांत के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तोवजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हम प्रार्थी/अपीलांत के द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित देशी के कारण संतोषजनक एवं सद्भाविक होने के कारण न्यायहित में प्रार्थना</p>	

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

शैतान सिंह बनाम श्रीमती रेणू जैन वगैरह ।
किस्म मुकदमा-225 राज.काश्तकारी अधिनियम
अपील संख्या 23/2023 (अजमेर)

23/11/23

पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। तत्पश्चात स्थगन प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस स्थगन प्रार्थना पत्र में बताया कि अपीलांट अपीलाधीन आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जो कि राजस्व रकार्ड में दर्ज इन्द्राज से स्पष्ट है तथा अपीलांट की बहस एवं प्रस्तुत दस्तोवजों पर किसी प्रकार का गौर किए विना आदेश अन्तर्गत अपील दिनांक 22.03.2021 पारित कर दिया गया। जिसका लाभ उठाकर रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलंदाजी की जा रही है और अपीलांट को आर्थिक क्षति पहुँचने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें यदि रेस्पोडेन्ट अपने कृत्य में सफल हो गया तो अपीलांट के अपील प्रस्तुत करने का सार ही समाप्त हो जावेगा और अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपीलांट को होने वाली क्षति की पूर्ति किसी भी सूरत में संभव नहीं होगी। प्रकरण में अपूर्णीय क्षति, सुविधा का सन्तुलन एवं प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में निहित करते है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2193, 2195, 2209 कुल किता 3 कुल रकबा 0.06 है0 के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथार्थिथि बनाए रखने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 22.03.2021 से आज दिनांक तक निस्तारण नहीं किया है, प्रकरण को विना विधिक कार्यवाही के विचाराधीन रखा गया है, जो विधि सम्मत नहीं है क्योंकि विवादित आराजी में वादीगण/प्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा निहित है। प्रकरण लंबित रहने से तथा प्रकरण का निस्तारण नहीं होने से अपूर्णीय क्षति प्रार्थी/अपीलांट को होती है। माननीय राजस्व उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने अनेको निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है कि यह न्याय का मूल मंत्र है कि विवाद वस्तु को विवाद के अंतिम निस्तारण तक सुरक्षित रखा जाना होता है जैसा कि 2016 आर.बी.जे. पेज 360, 2016 आर.बी.जे.पेज 468, 2019 आर.बी.जे. पेज 129 आदि पर सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। चूंकि प्रकरण का अंतिम निस्तारण तो उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के द्वारा किया जाना है इसलिए न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम में उभय पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें।

अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को प्रकरण इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 60 दिवस में निस्तारण करें, तक तक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण संख्या 20/2021 बउनवान शैतान बनाम रेणू जैन में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 2193, 2195, 2209 कुल किता 3 कुल रकबा 0.06 है0 ग्राम बडल्या तहसील व जिला अजमेर के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथार्थिथि बनायी रखे। प्रार्थी/अपीलांट को पाबंद किया जाता है कि वे श्रेय

23/11/23

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

शैतान सिंह बनाम श्रीमती रेणू जैन वगैरह ।
किस्म मुकदमा-225 राज.काश्तकारी अधिनियम
अपील संख्या 23/2023 (अजमेर)

15 अप्रार्थीगण के नोटिस रजिस्टर्ड एड्री से पेश करने हेतु पाबंद किया जाता है। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष दिनांक 06.02.2023 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा के आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फौसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

नीचे प्रार्थना पत्र
किया



49 न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी महोदय अजमेर

श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी महोदय अजमेर

अपील टी.ए. संख्या... 23/2023 जिला अजमेर

2023/23

श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी महोदय अजमेर

श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी महोदय अजमेर

श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी महोदय अजमेर

श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी महोदय अजमेर

11.1.23

1. शैतान सिंह पुत्र मंगल सिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम बड्लिया, तहसील व जिला अजमेर।

-- अपीलान्ट

बनाम्

1. श्रीमती रेणू जैन पत्नी श्री दीपचन्द जैन, जाति जैन, निवासी नाका मदार, अजमेर।
2. श्रीमती नूतन पत्नी श्री अनिल कुमार जैन, जाति जैन, निवासी स्टेशन रोड, अजमेर।
3. श्रीमती शांति धर्मपत्नी रामकरण, जाति रावत, निवासी ग्राम बड्लिया, तहसील व जिला अजमेर।
4. श्री असिफ मौहम्मद पुत्र हसन मौहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम गगवाना, तहसील व जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय अजमेर।
6. उपपंजीयक महोदय अजमेर।

-- रेस्पोजेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर अन्तर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 20/2021 दिनांक 22.03.2021

श्रीमान्जी,

अपीलांट अपील के संक्षिप्त तथ्यों सहित निम्न निवेदन करता है

कि:-

शैतान सिंह